

अध्याय 1

अवलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

झारखण्ड राज्य नवम्बर 2000 में बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया। इसका क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्र में, यह देश का 16^{वाँ} सबसे बड़ा राज्य है, जिसका 29.62 प्रतिशत क्षेत्रफल वनाच्छादित है। राज्य में 24 जिले हैं, जिनमें से नौ जिले अपने भौगोलिक क्षेत्र के 30 से 56 प्रतिशत तक वनक्षेत्र से आच्छादित हैं।

झारखण्ड की भूमि विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। खनिज संसाधन जैसे कोयला, लौह-अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, ताम्बा, अभ्रक, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी और यूरेनियम प्रमुख हैं। झारखण्ड देश में कोकिंग कोल और यूरेनियम का एकमात्र उत्पादक है। 31 मार्च 2021 तक राज्य में प्रमुख खनिजों के 373 खदानें, लघु खनिजों के 3,572 खदानें तथा वृहत एवं लघु दोनों खनिजों के 7 खदानें हैं।

जैसा कि **परिशिष्ट 1.1 भाग 'क'** में दर्शाया गया है, राज्य की जनसंख्या अंतिम 10 वर्षों में 15.62 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2011 के 3.33 करोड़ से बढ़कर, वर्ष 2021 में 3.85 करोड़ हो गई। वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2020-21 में राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 3,17,079 करोड़ था। वर्तमान मूल्य पर 2020-21 के दौरान राज्य की अनुमानित प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. 82,899 थी।

1.1.1 झारखण्ड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) किसी निश्चित समय में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह विशेष समयसीमा में राज्य के आर्थिक विकास स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है। चूंकि इस रिपोर्ट में सरकार द्वारा प्रकाशित नवीनतम स.रा.घ.उ. श्रृंखला का उपयोग किया गया है, अतः, पिछले वर्षों 2018-19 और 2019-20 के लिए प्रकाशित लेखापरीक्षा रिपोर्टों के प्रासंगिक तालिका के प्रतिशत/अनुपात में परिवर्तन आया है।

स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप है। देश की तुलना में झारखण्ड के स.रा.घ.उ. के वार्षिक वृद्धि में रूझान **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1: स.रा.घ.उ. में राष्ट्रीय स.घ.उ. की तुलना में रूझान

(करोड़ में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राष्ट्रीय स.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला)	1,53,91,669	1,70,90,042	1,88,86,957	2,03,51,013	1,97,45,670 [*]
पिछले वर्ष की तुलना में स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.76	11.03	10.51	7.75	-2.97
राज्य का स.रा.घ.उ. (2011-12 श्रृंखला)	2,36,250	2,69,816	3,05,695	3,21,157	3,17,079
पिछले वर्ष की तुलना में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	14.34	14.21	13.30	5.06	-1.27

स्रोत: MoSPI, भारत सरकार

^{*}(अग्रिम आकलन)


जैसा कि **तालिका 1.1** में देखा जा सकता है, झारखण्ड का स.रा.घ.उ. वृद्धि दर 2019-20 को छोड़कर वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक राष्ट्रीय वृद्धि दर से उच्च था।

आगे, राज्य का स.रा.घ.उ. वृद्धि दर 2017-18 (14.21 प्रतिशत) से आगे कमी की रूझान को दर्शाता है, जो 2019-20 (5.06 प्रतिशत) में उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। आगे, 2020-21 में स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (-)1.27 प्रतिशत मुख्यतः खनन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र के वृद्धि में गिरावट के कारण घटा।

1.1.2 स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय योगदान


चार्ट 1.1 से पता चलता है कि वर्ष 2016-17 और 2020-21 में राज्य का स.रा.घ.उ. में क्षेत्रवार योगदान लगभग समान रहा। स.रा.घ.उ. में प्रमुख योगदान सेवा क्षेत्र के बाद उद्योग क्षेत्र का था। इसके अलावा, खानों और खनिजों में समृद्ध होने के बावजूद राज्य ने खनन क्षेत्र के योगदान में कमी दर्ज की।

चार्ट 1.1: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन (2016-17 से 2020-21)



स्रोत: MoSPI, भारत सरकार

चार्ट 1.2: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि



स्रोत: सांख्यिकी एवं योजना कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

जैसा कि चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है, कृषि और वानिकी क्षेत्र को छोड़कर स.रा.घ.उ. गणना के लिए सभी क्षेत्रों के योगदान जो 2020-21 के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाया गया है, में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई थी।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (रा.वि.ले.प्र.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषागारों, कार्यालयों एवं विभागों द्वारा प्रेषित अभिश्रव (वाउचर), चालान तथा प्रारंभिक और सहायक लेखे, जो ऐसे लेखे को रखने के लिए जिम्मेदार हैं, से प्राप्त लेखे एवं भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणियों के आधार पर राज्य के वार्षिक वित्त लेखे और विनियोग लेखे तैयार करते हैं। इन लेखाओं का प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा किया जाता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है। राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन हेतु मूल आँकड़े प्रदान करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल है:

- पूर्वानुमान के सापेक्ष आवंटन प्राथमिकताओं एवं राजकोषीय मापदण्डों का आकलन करने के साथ-साथ संगत नियमों एवं निर्धारित प्रक्रियाओं सहित अनुपालन और इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु राज्य का बजट;
- प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय द्वारा किए गए लेखापरीक्षा का परिणाम;
- विभागीय प्राधिकरण और कोषागार (लेखे के साथ-साथ एम.आई.एस.) के अन्य आँकड़े,
- स.रा.घ.उ. आँकड़े और अन्य राज्य से संबंधित सांख्यिकी और;
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

14^{वें} वित्त आयोग के अनुशंसाओं, राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, भारत सरकार के सर्वोत्तम व्यवहारों एवं दिशानिर्देशों के संदर्भ में विश्लेषण किया गया था। राज्य वित्त विभाग के साथ दिनांक 19 मई, 2021 को बैठक हुई, जिसमें लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण को समझाया गया और दिनांक 14 जुलाई 2021 को समाप्ति सम्मेलन हुआ। प्रारूप प्रतिवेदन को टिप्पणियों हेतु राज्य सरकार को भेजा गया था; हालाँकि दिसम्बर 2021 तक जवाब प्रतिक्षित था।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित है:

अध्याय – 1	अवलोकन यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण एवं अंतर्निहित आंकड़े, सरकारी लेखों की संरचना, बजट प्रक्रियाओं, प्रमुख संकेतकों के वृहत राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करता है।
अध्याय – 2	राज्य सरकार के वित्त यह अध्याय राज्य के वित्त के व्यापक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तन, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रूपरेखा और मुख्य लोक लेखा लेन-देन का राज्य के वित्त लेखों के आधार पर विश्लेषण करता है।
अध्याय – 3	बजटीय प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है तथा राज्य सरकार के

	विनियोगों एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
अध्याय - 4	लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा सौंपे गये लेखाओं की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।
अध्याय - 5	सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्टिंग यह अध्याय सरकारी कम्पनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (रा.सा.क्षे.उ.) शब्द में वे सरकारी कम्पनियाँ शामिल हैं, जिनमें राज्य सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक है और ऐसी सरकारी कम्पनियों की सहायक है।

1.4 सरकारी लेखा संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का अवलोकन

इस प्रतिवेदन के **अध्याय- 2** में दिए गए राज्य सरकार के वित्त के विश्लेषण की व्याख्या करने के लिए सरकारी लेखों की संरचना को समझना आवश्यक है। राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

1. राज्य की समेकित निधि {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1)}

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किया गया समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बंध पत्र, केन्द्र सरकार से कर्ज, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गयी विशेष प्रतिभूतियाँ इत्यादि) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम एवं राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त किया गया सभी धन समाविष्ट होता है। इस निधि में से कोई धन विधि के अनुरूप और भारत के संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों तथा रीति से अन्यथा विनियोजित नहीं की जायेगी। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे- संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान इत्यादि), राज्य की समेकित निधि (भारत व्यय) पर प्रभारित होती हैं तथा विधानसभा द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) विधान सभा द्वारा मतदेय होता है।

2. राज्य की आकस्मिता निधि {भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2)}

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की होती है जो राज्य विधायिका द्वारा विधि से स्थापित की जाती है और राज्य की विधायिका द्वारा ऐसे व्यय प्राधिकृत किए जाने तक अप्रत्याशित व्यय करने के लिए अग्रिम प्रदाय करने हेतु राज्यपाल की सुपुर्दगी में रखी जाती है। राज्य की समेकित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के व्यय को विकलित कर उक्त निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा {भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2)}

उपरोक्त के अलावा, अन्य समस्त लोक धन जो सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किया जाता है, जहाँ सरकार बैंकर अथवा न्यासी की तरह कार्य करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में वापसी योग्य जैसे- अल्प बचतें एवं भविष्य निधियाँ, जमा (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधियाँ (ब्याज सहित एवं ब्याज रहित) प्रेषण एवं उचंत शीर्ष (अंतिम रूप से पुस्तांकित होने तक लंबित है एवं दोनों अस्थायी शीर्ष है) शामिल होते हैं। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल रोकड़ शेष भी शामिल रहता है। लोक लेखे विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करना भारत में एक संवैधानिक (अनुच्छेद 202) आवश्यकता होती है। यह "वार्षिक वित्तीय विवरण" मूल बजट दस्तावेज़

का गठन करता है। इसके अलावा, बजट को अन्य व्यय से राजस्व लेखे पर व्यय को अलग करना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों/ शुल्कों का हिस्सा तथा केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं, जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विविध सेवाओं के सामान्य कामकाज पर व्यय, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए हो सकते हैं) से संबंधित है।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल है:

ऋण प्राप्तियाँ: बाजार उधार, बॉण्ड, वित्तीय संस्थानों से उधार, अर्थोपाय अग्रिम के तहत निवल लेन-देन, केंद्र सरकार से उधार एवं अग्रिम आदि।

गैर-ऋण प्राप्तियाँ: विनिवेश से लाभ, उधार व अग्रिमों की वसूली।

पूँजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण पर व्यय, शेरों में विनिवेश तथा सरकार द्वारा पी.एस.यू. एवं अन्य पक्षों को दिये गए उधार एवं अग्रिम शामिल है।

वर्तमान में, हमारे पास सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है, जो कार्यात्मक एवं आर्थिक दोनों है।


तालिका: 1.2: सरकारी लेखे की वर्गीकरण प्रणाली

	लेन-देन की आकृति	वर्गीकरण
सी.जी.ए. द्वारा एल.एम.एम.एच' में मानकीकृत	कार्य - शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि	अनुदान अन्तर्गत प्रमुख शीर्ष (4-अंकीय)
	उप-कार्य	उप प्रमुख शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंकीय)
राज्यों को निर्णय की स्वतंत्रता	योजना	उप शीर्ष (2-अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/ क्रियाकलाप	वस्तु शीर्ष - वेतन, लघु कार्य, इत्यादि, (2-अंकीय)

*मुख्य और लघु शीर्षों की सूची

कार्यात्मक वर्गीकरण से हमें विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के लक्ष्य की जानकारी मिलती है। आर्थिक वर्गीकरण राजस्व, पूँजी, ऋण आदि के रूप में इन भुगतानों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय प्रमुख शीर्षों के पहले अंक में सन्निहित सांख्यिकीय तर्क द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियाँ हेतु, 2 और 3 राजस्व व्यय हेतु, इत्यादि हैं। आर्थिक वर्गीकरण एक अंतर्निहित परिभाषा और कुछ वस्तु (ऑब्जेक्ट) शीर्षों के वितरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है जो बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई हैं। उदाहरण के लिए वस्तु शीर्ष 'वेतन' राजस्व व्यय एवं वस्तु शीर्ष 'निर्माण' पूँजीगत व्यय है। वित्त लेखे के ब्यौरे **परिशिष्ट 1.1 भाग ख** में दिये गए हैं।

चार्ट 1.3 : सरकारी लेखे की संरचना



बजटीय प्रक्रिया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के संदर्भ में, वार्षिक वित्तीय विवरणी के रूप में, वर्ष 2020-21 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाता है। अनुच्छेद 203 के संदर्भ में, यह विवरण अनुदानों/ विनियोगों के लिए माँगों के रूप में राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के पश्चात, समेकित निधि से वांछित राशि के विनियोग के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विधानमण्डल द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया जाता है।

राज्य बजट नियमावली बजट तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने तथा अपने व्यय गतिविधियों की निगरानी करने में दिशानिर्देश प्रदान करता है। बजट की लेखापरीक्षा जाँच और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहल के कार्यान्वयन के परिणाम इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में विस्तृत है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र

निम्न तालिका वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमानों के सापेक्ष 2020-21 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करता है।

तालिका 1.3: बजट अनुमान के संबंध में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(करोड़ में)

क्र.सं.	घटक	2019-20 (वास्तविक)	2020-21 (बजट आकलन)	2020-21 (वास्तविक)	ब.आ. से वास्तविक की प्रतिशतता (2020-21)	स.रा.घ.उ. से वास्तविक की प्रतिशतता (2020-21)
1	कर राजस्व	16,771	21,519	16,880	78.44	5.32
2	गैर-कर राजस्व	8,750	18,820	7,564	40.19	2.39
3	केंद्रीय कर/शुल्क का हिस्सा	20,593	26,130	19,712	75.44	6.22
4	सहायता अनुदान तथा अंशदान	12,303	15,839	11,994	75.72	3.78
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	58,417	82,308	56,150	68.22	17.71
6	ऋण एवं अग्रिम की वसूली	49	61	49	80.33	0.02
7	अन्य प्राप्तियाँ	0	0	0	0.00	0.00
8	लोक ऋण	9,593	11,000	13,547	123.15	4.27
9	पूँजी प्राप्तियाँ (6+7+8)	9,642	11,061	13,596	122.92	4.29
10	कुल प्राप्तियाँ (5+9)	68,059	93,369	69,746	74.70	22.00
11	राजस्व व्यय	56,457	73,316	59,264	80.83	18.69
12	ब्याज भुगतान	5,308	5,646	5,790	102.55	1.83
13	पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु	7,079	10,020	6,370	63.57	2.01

	सहायता अनुदान					
14	पूँजी व्यय	10,044	10,297	11,846	115.04	3.74
15	पूँजी परिव्यय	9,879	8,653	8,466	97.84	2.67
16	ऋण एवं अग्रिम	165	1,644	3,380	205.60	1.07
17	कुल व्यय (11+14)	66,501	83,613	71,110	85.05	22.43
18	राजस्व आधिक्य(+)/घाटा (-) (5-11)	1,960	8,992	-3,114	-34.63	-0.98
19	राजकोषीय घाटा {17-(5+6+7)}	- 8,035	1,244	- 14,911	1,198.63	4.70
20	प्राथमिक घाटा (19-12)	- 2,727	-4,402	- 9,121	-207.20	2.88

2020-21 के दौरान, राज्य के अपने संसाधनों के रूप में या केंद्र सरकार से प्राप्तियों के रूप में सभी स्रोतों से प्राप्तियों में कमी के कारण राजस्व प्राप्ति में उल्लेखनीय कमी देखी गई। हालाँकि, स्वयं के कर राजस्व में ` 109 करोड़ की वृद्धि हुई, लेकिन इसकी वृद्धि 2020-21 में घटकर 0.70 प्रतिशत हो गई, जो 2019-20 में 13.70 प्रतिशत थी। 2020-21 के दौरान, गैर-कर राजस्व, केंद्रीय कर हस्तारण और सहायता अनुदान में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय रूप से क्रमशः ` 1,186 करोड़, ` 881 करोड़ तथा ` 310 करोड़ की कमी आई।

जी.एस.टी. मुआवजा जी.एस.टी (राज्य को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत राज्य सरकार का राजस्व है। हालाँकि, राजस्व प्राप्तियों के रूप में ` 1,958 करोड़ का जी.एस.टी. मुआवजा प्राप्त करने के अलावा, वर्ष 2020-21 के दौरान जी.एस.टी. मुआवजा कोष में अपर्याप्त शेष के कारण, झारखण्ड को राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियों के तहत राज्य के लिए बिना कोई पुनर्भुगतान दायित्व के ` 1,689 करोड़ का एक के बाद एक ऋण प्राप्त हुआ। इस व्यवस्था के कारण, वर्ष 2020-21 के दौरान ` 3,114 करोड़ का राजस्व घाटा और ` 14,911 करोड़ का राजकोषीय घाटा को जी.एस.टी मुआवजे के बदले ` 1,689 करोड़ की ऋण प्राप्तियों के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

2020-21 के दौरान, राजस्व व्यय की वृद्धि 2019-20 में 11.50 प्रतिशत के मुकाबले पाँच प्रतिशत थी। राज्य को अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष (2019-20 में 12.68 प्रतिशत के विरुद्ध 2020-21 में 15.65 प्रतिशत) की तुलना में अधिक धन उधार लेना पड़ा। **तालिका 1.4** व्यय की बढ़ती प्रवृत्तियों को इंगित करता है।

तालिका 1.4: प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्तियाँ

(` करोड़ में)

वर्ष	राजस्व		राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राजस्व व्यय का प्रतिशत	पूँजीगत		पूँजीगत प्राप्ति के सापेक्ष पूँजीगत व्यय का प्रतिशत
	प्राप्तियाँ	व्यय		प्राप्तियाँ	व्यय	
2016-17	47,054	45,089	95.82	7,120	10,861	152.54
2017-18	52,756	50,952	96.58	8,204	11,953	145.70
2018-19	56,152	50,631	90.17	7,850	10,712	136.46
2019-20	58,147	56,457	97.09	9,642	9,879	102.46
2020-21	56,150	59,264	105.55	13,595	8,466	62.27

- राजस्व के रूप में प्राप्त प्रत्येक ` 100 के लिए 2020-21 के दौरान अपने राजस्व व्यय को प्रतिपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त ` 5.55 उधार लेना पड़ा।
- जबकि 2016-21 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि हुई, पूँजीगत व्यय बहुत तेज दर से कम हो रहा है।
- 2016-17 के दौरान पूँजीगत व्यय की तुलना में, 2020-21 में पूँजीगत व्यय में 22 प्रतिशत की कमी आई, जो राज्य द्वारा अवधि के दौरान बुनियादी ढाँचे और संपत्ति निर्माण पर कम प्राथमिकता का संकेत था।

1.4.2 सरकार की सम्पत्तियों और दायित्वों का आशुचित्र

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और व्यय की गयी राशि से परिसम्पत्तियों के निर्माण को दर्शाते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखे और आरक्षित निधियों से प्राप्तियाँ शामिल हैं। परिसम्पत्तियों में मुख्य रूप पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्ज और अग्रिम तथा नकद शेष भी शामिल हैं। परिसम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति तालिका 1.5 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.5: परिसम्पत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(करोड़ में)

देनदारियाँ				परिसम्पत्तियाँ					
	2019-20	2020-21	वृद्धि प्रतिशत		2019-20	2020-21	वृद्धि प्रतिशत		
समेकित निधि									
क	आंतरिक ऋण	63,545.46	71,956.90	13.24	अ	सकल पूँजीगत परिव्यय	87,552.02	96,017.68	9.67
ख	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,591.52	4,981.85	92.24	ब	ऋण एवं अग्रिम	20,846.24	24,177.23	15.98
आकस्मिकता निधि		500	500	0					
लोक लेखा									
क	अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ आदि	1,216.86	1,194.40	-1.85	क	अग्रिम	7.14	19.66	175.35
ख	जमाएँ	21,104.74	24,331.45	15.29	ख	प्रेषण	0.00	0.00	-
ग	आरक्षित निधियाँ	5,948.02	7,024.26	18.09	ग	उचंत एवं विविध	0.00	0.00	-
घ	प्रेषण	82.30	126.45	53.65	घ	नकद शेष (निर्धारित निधि में निवेश सहित)	3,463.48	3,720.32	7.42
ङ	उचंत एवं विविध	91.29	144.75	58.56					
	व्यय से प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	16,788.69	13,674.83	-18.55		राजस्व लेखा में घाटा	-	-	-
कुल		1,11,868.88	1,23,934.89	10.79	कुल		1,11,868.88	1,23,934.89	10.79

स्रोत: वित्त लेखें

1.5 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

जब कोई सरकार राजस्व के रूप में एकत्र करने से अधिक खर्च करती है, तो वह घाटा होता है। ऐसे कई मापदण्ड हैं जो कि सरकारी घाटे को अधिग्रहीत करते हैं।

<p>राजस्व घाटा/अधिशेष (राजस्व व्यय-राजस्व प्राप्तियाँ)</p>	<p>राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर को संदर्भित करता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> जब सरकार राजस्व घाटा करती है, तो इसका अर्थ है कि सरकार अधिव्यय कर रही है और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बचत का उपयोग करके इसके उपभोग व्यय का एक हिस्सा वित्तपोषित कर रही है। राजस्व घाटे का अस्तित्व चिंता का कारण है क्योंकि राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय को भी पूरा करने में पर्याप्त नहीं थीं। इसके अलावा, पूँजीगत प्राप्तियों के हिस्से का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया था, पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उस सीमा तक पूँजी संसाधनों की उपलब्धता को कम किया। इस स्थिति का अर्थ है कि सरकार को न केवल अपने निवेश को वित्त पोषित करने के लिए उधार लेना होगा, बल्कि इसके उपभोग की आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। यह ऋण और ब्याज देनदारियों के भंडार का निर्माण करता है और सरकार को आखिरकार
---	---

	<p>खर्च में कटौती करने के लिए मजबूर करता है।</p> <ul style="list-style-type: none"> यदि राजस्व व्यय का बड़ा हिस्सा प्रतिबद्ध व्यय (ब्याज देनदारियां, वेतन, पेंशन) है, तो सरकार उत्पादक व्यय या कल्याण व्यय को कम करती है। इसका अर्थ कम विकास और प्रतिकूल कल्याण निहितार्थ होगा।
<p>राजकोषीय घाटा/अधिशेष {कुल व्यय-(राजस्व प्राप्तियाँ + ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ जो पूंजीगत प्राप्तियाँ बनती हैं)}</p>	<p>यह राजस्व प्राप्तियों तथा ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों के योग (NDCR) और कुल व्यय के बीच का अंतर है। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं के लिए विचारात्मक है।</p> <ul style="list-style-type: none"> राजकोषीय घाटा, उधारियों को छोड़कर, सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। ऋणोत्तर सृजन पूंजीगत प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं, जो उधार नहीं हैं और इसलिए, ऋण को उत्पन्न नहीं करती हैं। उदाहरणार्थ कर्ज की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से आय है। राजकोषीय घाटे को उधार के माध्यम से वित्तपोषित करना होगा। इस प्रकार, यह सभी स्रोतों से सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को इंगित करता है। <p>सरकारें आमतौर पर राजकोषीय घाटे से चलती हैं और पूंजी/परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए या आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन उधार लेती हैं, ताकि उधार के माध्यम से बनाई गई परिसंपत्ति एक आय प्रवाह उत्पन्न करके अपने लिए भुगतान कर सके। इस प्रकार पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उधार ली गयी निधियों का उपयोग और मूलधन और ब्याज की अदायगी के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग करना विचारणीय है।</p>
<p>प्राथमिक घाटा/अधिशेष (सकल राजकोषीय घाटा-निवल ब्याज दायित्व)</p>	<p><i>राजकोषीय घाटे को घटाकर ब्याज भुगतान को दर्शाता है।</i></p> <ul style="list-style-type: none"> निवल ब्याज देन-दारियों में निवल घरेलू उधार पर सरकार द्वारा ब्याज भुगतान घटाकर ब्याज प्राप्तियाँ शामिल हैं। सरकार की उधार आवश्यकता में संचित ऋण पर ब्याज दायित्व शामिल हैं। राजस्व से अधिक चालू व्यय के कारण उधार का अनुमान प्राप्त करने के लिए, हमें प्राथमिक घाटे की गणना करने की आवश्यकता है।

घाटे को उधार के द्वारा वित्तपोषित किया जाता है जिससे सरकारी ऋण में बढ़ोतरी होती है। घाटे और ऋण की अवधारणा के बीच घनिष्ठ संबंध है। घाटे को ऋण के स्टॉक में जोड़ने के रूप में माना जा सकता है। यदि सरकार वर्ष दर वर्ष उधार लेना जारी रखती है, तो इससे ऋण का संचय होता है और सरकार को ब्याज के रूप में और अधिक भुगतान करना पड़ता है। ये ब्याज भुगतान स्वयं को ऋण में डाल देते हैं।

उधार द्वारा, सरकार कम खपत का बोझ भावी पीढ़ियों पर डाल देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान में रहने वाले लोगों को बाँण्ड जारी करके उधार लेता है, लेकिन कुछ बीस साल बाद करों को बढ़ाकर या खर्च कम करके बाण्ड का भुगतान करने का फैसला कर सकता है। साथ ही, लोगों से सरकारी उधारी निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध बचतों को कम करती है। इस सीमा तक कि यह पूँजी निर्माण और वृद्धि को कम कर देता है, भावी पीढ़ियों पर "बोझ" ऋण के रूप में कार्य करता है।

हालाँकि, सरकारी घाटा उत्पादन बढ़ाने के अपने लक्ष्य में सफल होता है, तो अधिक आय होगी और इसलिए अधिक बचत होगी। ऐसे में, सरकार ओर उद्योग दोनों ज्यादा उधार ले सकते हैं। इसके अलावा, अगर सरकार बुनियादी ढाँचे में निवेश करती है, तो आने वाली पीढ़ी बेहतर हो सकती है, बशर्ते ऐसे निवेश पर प्रतिफल ब्याज दर से अधिक हो। उत्पादन में वृद्धि से वास्तविक ऋण का भुगतान किया जा सकता है। तब ऋण को बोझ नहीं समझना चाहिए। ऋण में वृद्धि को समग्र रूप से अर्थव्यवस्था (राज्य सकल घरेलु उत्पाद) की वृद्धि से आंकना होगा।

सरकारी घाटे को करों में वृद्धि या व्यय में कमी से कम किया जा सकता है। हालाँकि, प्रमुख जोर सरकारी खर्च में कमी की ओर रहा है। कार्यक्रमों की बेहतर योजना और बेहतर प्रशासन के माध्यम से सरकारी गतिविधियों को और अधिक कुशल बनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है।

1.5.1 राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि

राज्य सरकार ने मध्यम अवधि ढाँचे के रूप में राजकोषीय घाटे को कम करने और समग्र स्तर पर/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक पहुँचाने, बेहतर ऋण प्रबंधन की स्थापना और पारदर्शिता में सुधार करके, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.), 2007 को राजकोषीय घाटे को घटाते हुए राजकोषीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारित किया है। इस सन्दर्भ में, अधिनियम घाटा उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है। 2016-17 से 2020-21 तक की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में परिकल्पित प्रमुख राजकोषीय मापदण्डों से संबंधित लक्ष्य और उनकी उपलब्धियाँ तालिका 1.6 में दी गई हैं।

तालिका 1.6: राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धियाँ (₹ करोड़ में)				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व घाटा	शून्य	1,965 ✓	1,804 ✓	5,521 ✓	1,960 ✓	-3,114 X
राजकोषीय घाटा (स.रा.घ.उ. के प्रतिशतता के रूप में)	तीन प्रतिशत (2020-21 के लिए 5 प्रतिशत)*	10,193 (4.31) X	11,933 (4.42) X	6,629 (2.17) ✓	8,035 (2.50) ✓	14,911 (4.70) ✓
स.रा.घ.उ. से कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	27.0 से 28.3 प्रतिशत के बीच	28.30	27.90	27.20	27.10	27.00
	वास्तविक	28.29 ✓	28.57 X	27.41 X	29.40 X	33.90# X

यह ऋण ₹ 1,689 करोड़ जिसे Gol's No. F. No. 40(1) PF-S/2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021 के तहत जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह भारत सरकार द्वारा एक के बाद एक उधारी देने को शामिल नहीं करता है।

* राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम 2020 के कंडिका 2(1) के आलोक में राजकोषीय घाटा लक्ष्य को 2020-21 के लिए 2 प्रतिशत बढ़ाया गया है।

वित्त लेखे के अनुसार कुल बकाया विभाग का स.रा.घ.उ. से अनुपात 34.43 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्ति के तहत बैंक टू बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 1,689 करोड़ के जी.एस.टी. मुआवजे को छोड़कर स.रा.घ.उ. अनुपात (33.90 प्रतिशत) के लिए प्रभावी ऋण का निर्धारण किया गया है क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है की इसे राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा जो किसी भी मापदंड के लिए वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

वर्ष 2020-21 को छोड़कर राज्य में 2016-17 से पीछे के वर्षों तक राजस्व अधिशेष था। राजकोषीय घाटा भी 2018-19 से निर्धारित लक्ष्य से कम था। स.रा.घ.उ. के लिए बकाया ऋण का अनुपात चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि यह पिछले चार वर्षों से झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत एम.टी.एफ.पी.एस. में निर्धारित मानदंडों को पार कर गया है।

1.5.2 मध्यम अवधि की राजकोषीय योजना

एफ.आर.बी.एम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वार्षिक बजट के साथ एक पंचवर्षीय वित्तीय योजना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना होता है। मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति विवरणी (एम.टी.एफ.पी.एस.) को निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए पाँच साल का रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करना है।

तालिका 1.7 राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत किए गए एम.टी.एफ.पी.एस. में 2020-21 के लिए किए गए अनुमानों के साथ 2020-21 के बजट और वर्ष के वास्तविक के बीच अंतर को दर्शाता है।

तालिका 1.7: वर्ष 2020-21 के लिए एम.टी.एफ.पी. में प्रक्षेपण के संबंध में वास्तविकता
(^१ करोड़ में)

क्र.सं.	राजकोषीय परिवर्तनीय	एम.टी.एफ.पी. के अनुसार प्रक्षेपण	वास्तविक (2020-21)	प्रवर्तन (प्रतिशत में)
1	स्वयं कर राजस्व	21,670	16,880	(-) 22.10
2	गैर-कर राजस्व	11,820	7,564	(-) 36.00
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	25,980	19,712	(-) 24.12
4	भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान	15,839	11,994	(-) 24.27
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	75,309	56,150	(-) 25.44
6	राजस्व व्यय	73,316	59,264	(-) 19.16
7	राजस्व घाटा(-)/ अधिशेष(+) ⁽⁵⁻⁶⁾	(+) 1,993	(-) 3,114	(-) 256.24
8	राजकोषीय घाटा(-)/ अधिशेष(+)	(-) 8,243	(-) 14,911	(-)80.89
9	ऋण – स.रा.घ.उ. अनुपात (प्रतिशत)	32.60	33.90 [#]	(-)5.61
10	वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)3.20	(-)1.27	60.31


[#] यह ऋण ` 1,689 करोड़ जिसे Gol's No. F. No. 40(1) PF-S/2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021 के तहत जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह भारत सरकार द्वारा एक के बाद एक उधारी देने को शामिल नहीं करता है।

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दिखाया गया है, राज्य एस.टी.एफ.पी.एस. में 2020-21 के लिए निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है। स.रा.घ.उ. से राजकोषीय घाटा अनुपात 2020-21 में 4.70 प्रतिशत हो गया, जो पिछले वर्ष 2.50 प्रतिशत था।

1.5.3 घाटे/अधिशेष की प्रवृत्तियाँ


जैसा कि चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है, राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं था और जैसाकि इसके प्रमुख वित्तीय मानकों के संबंध में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में निर्धारित किया गया था। 2019-20 में ` 1,960 करोड़ के राजस्व अधिशेष को 2020-21 में ` 3,114 करोड़ के घाटे में बदल दिया गया। इसी तरह, राजकोषीय घाटा 2019-20 में ` 8,035 करोड़ के मुकाबले 2020-21 में बढ़कर ` 14,911 करोड़ हो गई, जो चालू वर्ष के दौरान उधार ली गई धनराशि पर राज्य की अधिक निर्भरता का संकेत था। प्राथमिक घाटा 2020-21 में ` 2,722 करोड़ से बढ़कर ` 9,121 करोड़ हो गया, जो दर्शाता है कि राज्य के पास अपने वर्तमान निर्णय और वर्ष के दौरान आधारभूत संरचना के निर्माण पर खर्च करने के लिए कम धन था।

चार्ट 1.4: अधिशेष/घाटा मापदंड का रूझान




चार्ट 1.5 पिछले पाँच वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. के सापेक्ष अधिशेष/घाटे का रूझान दिखाता है।

चार्ट 1.5: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष अधिशेष/घाटे में रूझान



चार्ट 1.6: राजकोषीय देन-दारियों और स.रा.घ.उ. में रूझान



जैसा कि चार्ट 1.6 में देखा जा सकता है, राज्य की कुल बकाया देन-दारियों में आंतरिक ऋण का प्रमुख योगदान था, जिसके बाद लोक लेखा प्राप्तियाँ थीं। इन वर्षों में देयता में भारत सरकार के ऋणों मामूली योगदान था, हालांकि, यह 2019-20 में 2.75 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 4.56 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण जी.एस.टी. के बदले एक के बाद एक (बैक टू बैक) दिया गया ऋण था।

1.6 लेखापरीक्षा में परीक्षण के बाद घाटा और कुल ऋण/बकाया

1.6.1 लेखापरीक्षा के पश्चात - घाटा

पूँजी और गैर बजटीय राजकोषीय संचालन के रूप में राजस्व व्यय का गलत वर्गीकरण राज्य के वित्त का गलत चित्रण दर्शाता है। इसके अलावा, स्पष्ट देनदारियों का स्थगन, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना, सिंकिंग एवं मोचन निधि इत्यादि में कमतर अंशदान भी देनदारियों, राजस्व और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करता है। वास्तविक आंकड़ों पर पहुँचने हेतु, ऐसे अनियमितताओं के प्रभाव को प्रतिकूल किए जाने की आवश्यकता है।

तालिका 1.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष के अनुसार राजस्व और राजकोषीय घाटा

ब्यौरा	राजस्व घाटा पर प्रभाव (न्यूनोक्ति(+)/अत्योक्ति (-)	राजकोषीय घाटा पर प्रभाव (न्यूनोक्ति)	संदर्भ कंडिका
(करोड़ में)			
2020-21 के दौरान लोक लेखा में समर्पित निधियों को उपकर के न्यून/कम अंतरण	60.10	60.10	4.1
2020-21 के दौरान एस.डी.आर.एफ. पर ब्याज देनदारियों का गैर-निर्वहन	128.08	128.08	2.5.2
कुल	188.18	188.18	

स्रोत: वित्त लेखे और लेखापरीक्षा विश्लेषण

यह देखा जा सकता है कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में ₹ 188.18 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई। अतः राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा वित्त लेखे में दर्शाए गए ₹ 3,113.86 करोड़ और ₹ 14,910.74 करोड़ के स्थान पर वास्तव में क्रमशः ₹ 3,302.04 करोड़ तथा ₹ 15,098.92 करोड़ रहा। सभी अवलोकन एवं खोज राज्य सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। हालाँकि, उपर्युक्त उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2021)।

तालिका 1.9: वर्ष 2020-21 के लिए पूर्व और बाद के लेखापरीक्षा प्रमुख राजकोषीय परिवर्तन

(प्रतिशत में)

राजकोषीय परिवर्तन	2020-21				लेखापरीक्षा के पश्चात वास्तविक
	राज्य हेतु एफ.एफ.सी. अनुमान	एम.टी.एफ.पी. विवरणी में वर्णित लक्ष्य	बजट अनुमानों के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक	
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+)	(-) 0.50	(-) 0.63	(-) 0.63	(-) 0.98	(-) 1.04
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय घाटा	2.10	2.59	2.60	4.70	4.76
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष सरकार का कुल बकाया ऋण का अनुपात	27.00	32.60	-	33.90 [#]	33.96

[#] यह ऋण ` 1,689 करोड़ जिसे Gol's No. F. No. 40(1) PF-S/2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021 के तहत जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के कमी के जगह भारत सरकार द्वारा एक के बाद एक उधारी देने को शामिल नहीं करता है।

2020-21 के दौरान, राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 के आधार पर लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा, जैसा कि **तालिका 1.9** में दर्शाया गया है। लेखापरीक्षा के बाद घाटे की स्थिति और स.रा.घ.उ. के लिए राजकोषीय दायित्व ने और गिरावट को दर्शाया। राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा स.रा.घ.उ. अनुपात में छः प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई।